Citizen's/ Stakeholder's Charter of NITI Aayog

VISION and MISSION

1. **Vision**

To provide data based policy inputs for making India the 3rd largest economy by 2047 while achieving Sustainable Development Goals including employment for all by 2030 through transparent governance; effective and accountable public delivery services; fostering competitive and cooperative federalism and nurturing a robust eco-system for innovation and frontier technologies.

2. **Mission**

For achieving this vision, NITI Aayog would provide specialized inputs – strategic, functional and technical to Prime Minister and the Government at all levels (Centre as well as States). The policy interventions would include but not limited to agriculture, social sectors (including nutrition, health, education and social upliftment), innovation, frontier technologies, manufacturing & services sectors, smart urbanization, mobility, clean energy, improved governance, development of aspirational districts and so on. While doing so, the following objectives of NITI Aayog as indicated in the Cabinet Resolution dated January 1, 2015 for setting up of NITI Aayog would be kept in view:-

i. To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States in the light of national objectives.

ii. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation.

iii. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.

iv. To ensure, on areas that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy.

v. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefitting adequately from economic progress.

vi. To design strategic and long term policy and programme frameworks and initiatives, and monitor their progress and their efficacy. The lessons learnt through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections.

vii. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded Think Tanks, as well as educational and policy research institutions.

viii. To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners.

ix. To offer a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda.

x. To maintain a state-of-the-art Resource Centre, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stake-holders.

xi. To actively monitor and evaluate the implementation of programmes and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery.

xii. To focus on technology up-gradation and capacity building for implementation of programmes and initiatives.

xiii. To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda, and the objectives mentioned above.

STAKEHOLDERS AND SERVICE STANDARDS/ TIMELINES

3. Stakeholders

Achieving the Vision requires efforts across multiple fronts and through collaborative and competitive federalism, working not only with Central Ministries, State Governments and third tier of the Government, but also other stakeholders viz. academia, think tanks, foreign Governments, multilateral institutions, civil society organisations/ NGOs, Public Sector Enterprises, Autonomous Bodies, industry associations, representatives of public (elected or otherwise) and other relevant organizations or citizens at large. For specific initiatives such as Atal Innovation Mission, the clients would also include schools (for setting up Tinkering Labs) and specified organisations seeking assistance for setting up Incubation Centres. Besides, for NGO Darpan portal, NITI Aayog receives online applications from NGOs seeking registration. Under research scheme, applications are received for conduct of research studies (solicited or unsolicited), for organizing workshops, seminars, as also for non-financial logo support.

Timelines/ Service Standards

NITI Aayog strives to adhere to timelines as prescribed as per guidelines issued by the Government from time to time with regard to references including for proposals for Expenditure Finance Committee, Standing Finance Committee, policy matters from Ministries, State Governments and various other references from Members of Parliament, Members of State Legislatures, industry associations, academia, think tanks and citizens at large. For certain categories such as EFC/ SFC/ Cabinet Committee notes, references from prescribed by the Government and applicable to all Ministries/ Departments. If no such time limit is prescribed, NITI endeavours to respond within a maximum period of 30 working days. Subject wise service standards in terms of responses is given in the following table:-

Sl. No.	Services Rendered	Clients/stake holders	Service Standard (working days unless specified)
	Atal Tinkering Labs (ATLs)		
1.	Shortlist announcement of ATL Applicants from day of closure of ATL application on website	Schools (minimum Grade VI – X) managed by Government, local body or private trusts/society.	90 days
2.	Disbursement of Grant from day of receipt of all valid documents from ATL Applicant		45 days subject to availability of funds
3.	Response to any query from ATL applicant		5 days
	Atal Incubation Centres (AICs)		
4.	Shortlist announcement of AIC Applicants from day of closure of AIC application on website	Universities, industry, social enterprises, and research institutions.	90 Days
5.	Disbursement of Grant from day of receipt of all valid documents from ATL Applicant		45 days subject to availability of funds
6.	Response to any query from AIC Applicant		5 days
	NGO Darpan Portal		
7.	Providing Registration/Unique Identification No upon uploading documents & verification of credentials	Voluntary Organisations/ Non Governmental Organisations	48 hours
8.	Change in NGO information/credentials e.g. PAN number, Officer Bearers, Contact details etc.		7 days
9.	Allowing Branch Offices of Parent Organization to Sign-Up on NGO Darpan Portal using PAN number of parent body.		10 days
10.	Delete/ Archive/Retrieve of NGOs/ VOs on request from head of the Organization.		7 days

	Research Scheme of NITI Aayog		
11.	Examination of proposals of research studies	Academic institutes, Research organizations, Autonomous bodies, Consulting firms, Think Tanks and others	45 days
12.	Examination of proposals for seminar grants		30 days
13.	Release of first instalment after issuance of Letter of Approval and completion of formalities		15 days
14.	Release of last instalment after closure of study and completion of formalities		30 days
15.	Examination of proposals for logo support		15 days

5. **Grievance Redressal and applications under RTI Act**

5.1 An internal system (basedon CPGRAMS) is in place to streamline the process of acceptance of letters, statements, queries, or other correspondence, and respond in a manner prescribed as per guidelines of CPGRAMS. For all other grievances received directly by NITI Aayog, endeavor shall be to examine the same and respond to the applicant within 30 working days.

5.2 For Grievance Redressal the existing portal may be used by clicking on to https://pgportal.gov.in/

5.3 There is an elaborate system in place for furnishing information sought by citizens under Right to Information (RTI) Act within the timelines prescribed under the Act. Steps have also been taken for *suo moto* disclosures under the RTI Act, details of which are available at the NITI website viz. niti.gov.in. For filing of RTI applications the existing portal may be used by clicking on to https://rtionline.gov.in/

6. **NODAL OFFICERS**

6.1 NITI Aayog has appointed nodal officers for specific areas of public importance. The concerned officers and their coordinates are set out below. The citizens are requested to contact the relevant officers basis their queries or grievances for early response/ resolution.

Sl. No.	**Subject**	**Nodal Officer**	**Address (Room No., NITI Aayog)**	**Email**	**Telephone**
1.	RTI Act related queries	Shri Amit Kumar Singh Deputy Secretary	460	nodal-rti@niti.gov.in	23096531

2.	Grievance Redressal	Shri Vinod Kumar Deputy Secretary	404	vinod.kumar@nic.in	23042475
3.	Atal Innovation Mission related queries	Shri Dharamveer Soni Head Admin.	408	dvs.ldo-mud@nic.in	23096742
4.	DMEO related queries	Ms. Mamta Kalra Deputy Director	461	mamta.kalra@gov.in	23042587
5.	Research & Networking related queries	Dr. Banusri Velpandian Senior Specialist	278	banusri.v@gov.in	23042381
6.	NGO Darpan	Shri R.N Mundhe Senior Research Officer	321 (5)	rn.mundhe@gov.in	23042550
7.	Vigilance matters related	Shri Anurag Goyal PD/Senior Adviser	205	goyal.anurag@gov.in	23096638

7. Nodal Appellate Authority for Public Grievances Appeals

7.1 A Nodal Appellate Authority for Public Grievance Appeals has been appointed in NITI Aayog to redress any appeal against Public Grievance Petitions. The citizens are requested to contact the Nodal Appellate Authority in case they are not satisfied with the reply given to their Public Grievances Petitions for early response/ resolution.

Name	Designation	Address (Room No., NITI Aayog)	Email	Telephone
Shri K.S. Rejimon	Joint Secretary	233	ks.rejimon@nic.in	23096545

नीति आयोग का नागरिक/हितधारक चार्ट

विज़न और मिशन

1. विज़न

पारदर्शी शासन; प्रभावी और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण सेवाओं; प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और नवाचार एवं सीमांत प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूत इकोसिस्टम का पोषण करने के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए रोजगार सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेटा आधारित नीतिगत इनपुट प्रदान करना।

2. मिशन

इस विज़न को साकार करने के लिए, नीति आयोग प्रधान मंत्री और सभी स्तरों (केंद्र और राज्य) पर सरकारों को विशिष्ट इनपुट - रणनीतिक, कार्यात्मक और तकनीकी प्रदान करेगा। नीतिगत हस्तक्षेपों में कृषि, सामाजिक क्षेत्र (पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्थान सहित), नवाचार, सीमांत प्रौद्योगिकियां, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, स्मार्ट शहरीकरण, गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर शासन, आकांक्षी जिलों का विकास आदि शामिल होंगे, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं होगा। ऐसा करते समय, नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि नीति आयोग की स्थापना के लिए 01 जनवरी, 2015 के मंत्रिमंडल संकल्प में दर्शाया गया है :

i. राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा विज़न का विकास करना।

ii. यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

iii. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर पर एकत्र करना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।

v. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांवित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।

vi. कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।

vii. महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

viii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक नेटवर्क के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना।

ix. विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

x. एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, जो सुशासन और सतत एवं न्यायसंगत विकास पर सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार होने के साथ-साथ उनके प्रसार में सहायता करे।

xi. कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, जिसमें आवश्यक संसाधनों की पहचान शामिल है ताकि सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

xii. कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना।

xiii. राष्ट्रीय विकास एजेंडे के निष्पादन और उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी गतिविधियां संचालित करना।

हितधारक और सेवा मानक/ समय सीमा

3. <u>हितधारक</u>

इस विज़न को साकार करने के लिए सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से कई मोर्चों पर प्रयासों की आवश्यकता है तथा न केवल केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सरकार के तीसरे स्तर के साथ काम करने की आवश्यकता है, बल्कि अन्य हितधारकों जैसे कि शैक्षणिक समुदाय, थिंक टैंक, विदेशी सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, नागरिक समाज के संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, उद्योग संघों, जनता के प्रतिनिधियों (निर्वाचित या अन्यथा) और अन्य संबंधित संगठनों या समग्र रूप से नागरिकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। अटल नवाचार मिशन जैसी विशिष्ट पहलों के लिए, क्लाइंटों में स्कूल (टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए) और विशिष्ट संगठन भी शामिल होंगे जो इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, एनजीओ दर्पण पोर्टल के लिए नीति आयोग पंजीकरण कराने के इच्छुक एनजीओ से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करता है। अनुसंधान योजना के तहत, अनुसंधान अध्ययन (प्रार्थित या अप्रार्थित) करने, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के आयोजन के साथ-साथ गैर-वित्तीय लोगो समर्थन के लिए भी आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

4. <u>समय सीमा/सेवा मानक</u>

नीति आयोग व्यय वित्त समिति, स्थायी वित्त समिति के प्रस्तावों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों के नीतिगत मामलों और संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, उद्योग संघों, शैक्षणिक समुदाय, थिंक टैंक और समग्र रूप से नागरिकों से विभिन्न अन्य संदर्भों सहित संदर्भों के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा का पालन करने का प्रयास करता है। कुछ श्रेणियों जैसे कि ईएफसी / एसएफस / मंत्रिमंडल समिति की टिप्पणियों के लिए, सरकार द्वारा संदर्भ प्रपत्र निर्धारित हैं और सभी मंत्रालयों / विभागों पर लागू हैं। यदि ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो नीति आयोग अधिकतम 30 कार्य दिवस की अवधि के भीतर जवाब देने का प्रयास करता है। प्रतिक्रिया के संदर्भ में विषयवार सेवा मानक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

क्र. सं.	प्रदान की गई सेवाएं	ग्राहक / हितधारक	सेवा मानक (कार्य दिवस यदि निर्दिष्ट नहीं है)
	अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)		
1.	वेबसाइट पर एटीएल आवेदन बंद होने के दिन से एटीएल आवेदकों की संक्षिप्त सूची की घोषणा	सरकार, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा प्रबंधित स्कूल (न्यूनतम ग्रेड VI - X)	90 दिन
2.	एटीएल आवेदक से सभी वैध दस्तावेज प्राप्त होने के दिन से अनुदान का संवितरण		निधियों की उपलब्धता के अधीन 45 दिन
3.	एटीएल आवेदक के किसी प्रश्न का उत्तर		5 दिन
	अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी)		
4.	वेबसाइट पर एआईसी आवेदन बंद होने के दिन से एआईसी आवेदकों की संक्षिप्त सूची की घोषणा	विश्वविद्यालय, उद्योग, सामाजिक उद्यम और अनुसंधान संस्थान	90 दिन
5.	एटीएल आवेदक से सभी वैध दस्तावेज प्राप्त होने के दिन से अनुदान का संवितरण		निधियों की उपलब्धता के अधीन 45 दिन
6.	एआईसी आवेदक के किसी प्रश्न का उत्तर		5 दिन

	एनजीओ दर्पण पोर्टल		
7.	दस्तावेज़ों के अपलोड हो जाने और प्रत्यय-पत्रों के सत्यापन पर पंजीकरण / विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना	स्वैच्छिक संगठन / गैर सरकारी संगठन	48 घंटे
8.	एनजीओ की जानकारी / प्रत्यय-पत्र जैसे कि पैन नंबर, पदाधिकारियों, संपर्क विवरण आदि में परिवर्तन।		7 दिन
9.	मूल संस्था के पैन नंबर का प्रयोग करके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर साइन-अप करने के लिए मूल संगठन के शाखा कार्यालयों को अनुमति प्रदान करना		10 दिन
10.	संगठन के प्रमुख के अनुरोध पर गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को हटाना/पुरालेखित करना/ पुनर्प्राप्त करना		7 दिन
	नीति आयोग की अनुसंधान योजना		
11.	अनुसंधान अध्ययन के प्रस्तावों की जांच	शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संगठन, स्वायत्त निकाय, परामर्श फर्म, थिंक टैंक और अन्य	45 दिन
12.	संगोष्ठी अनुदान के प्रस्तावों की जांच		30 दिन
13.	स्वीकृति पत्र जारी होने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पहली किस्त जारी करना		15 दिन
14.	अध्ययन बंद होने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम किस्त जारी करना		30 दिन
15.	लोगो समर्थन के प्रस्तावों की जांच		15 दिन

5. शिकायत निवारण और आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन

5.1 पत्रों, विवरणों, प्रश्नों, या अन्य पत्राचार की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सीपीजीआरएएमएस के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित तरीके से जवाब देने के लिए एक आंतरिक प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस पर आधारित) मौजूद है। जहां तक नीति आयोग द्वारा सीधे प्राप्त अन्य सभी शिकायतों का संबंध है, उनकी जांच करने और 30 कार्य दिवस के भीतर आवेदक को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा।

5.2 शिकायत निवारण के लिए, https://pgportal.gov.in पर क्लिक करके मौजूदा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है।

5.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली मौजूद है। आरटीआई अधिनियम के तहत स्वत: प्रकटीकरण के लिए कदम भी उठाए गए हैं, जिसका विवरण नीति आयोग की वेबसाइट अर्थात, https://niti.gov.in पर उपलब्ध है। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए, https://rtionline.gov.in पर क्लिक करके मौजूदा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है।

6. नोडल अधिकारी

6.1 नीति आयोग ने सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। संबंधित अधिकारियों और उनके समकक्षों का विवरण नीचे दिया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे शीघ्र जवाब समाधान के लिए अपने प्रश्नों या शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

क्रम संख्या	विषय	नोडल अधिकारी	पता (कमरा नंबर, नीति आयोग)	ईमेल	टेलीफ़ोन
1.	आरटीआई अधिनियम से संबंधित प्रश्न	श्री अमित कुमार सिंह उप सचिव	460	nodal-rti@niti.gov.in	23096545
2.	शिकायत निवारण	श्री विनोद कुमार उप सचिव	404	vinod.kumar@nic.in	23042475
3.	अटल नवाचार मिशन से जुड़े प्रश्न	श्री धर्मवीर सोनी प्रशासनिक प्रमुख	408	dvs.ldo-mud@nic.in	23096742
4.	डीएमईओ से संबंधित प्रश्न	सुश्री ममता कालरा उप निदेशक	461	mamta.kalra@gov.in	23042587
5.	अनुसंधान और नेटवर्किंग संबंधी प्रश्न	डॉ. बानुश्री वेलपांडियन वरिष्ठ विशेषज्ञ	278	banusri.v@gov.in	23042381
6.	एनजीओ दर्पण	श्री आर.एन. मुंडे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	321 (5)	rn.mundhe@gov.in	23042550
7.	सतर्कता से संबंधित मामले	श्री अनुराग गोयल कार्यक्रम निदेशक/वरिष्ठ सलाहकार	205	goyal.anurag@gov.in	23096638

7. लोक शिकायत अपीलों के लिए नोडल अपीलीय प्राधिकारी

7.1 लोक शिकायत याचिकाओं के खिलाफ किसी भी अपील के निवारण के लिए नीति आयोग में एक नोडल अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे अपनी लोक शिकायत याचिकाओं पर दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो त्वरित प्रतिक्रिया/समाधान के लिए नोडल अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करें।

नाम	पदनाम	पता (कमरा नंबर, नीति आयोग)	ईमेल	टेलीफ़ोन
श्री के.एस. रेजीमोन	संयुक्त सचिव	233	ks.rejimon@nic.in	23096545